



अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
आयुक्त (वैट) कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER (VAT)  
श्री विजया पुरम, दक्षिण अण्डमान/SRI VIJAYA PURAM, SOUTH ANDAMAN

**PRESS RELEASE**

Upon Promulgation of Andaman and Nicobar Value Added Tax Regulation, 2017, and Value Added Tax Rules, 2020, the following goods fall under the purview of Value Added Tax in the Andaman and Nicobar Islands:

- **Petroleum Products:** Petroleum Crude, high Speed Diesel, High Speed Diesel (Ship) , Petrol , Natural Gas, Aviation Turbine Fuel .
- **Alcoholic Beverages:** Including Indian-made foreign liquor (IMFL), and Beer.

Dealers trading in these goods are strictly required to adhere to VAT Regulation, including issuance of proper tax invoices upon request by consumers as per Section 50 of the A&N VAT Regulation. Further, the dealers are required to maintain records as per Section 48(6) of the A&N VAT Regulation.

Consumers are advised to ensure that they receive tax invoices for every purchase of the aforementioned goods. These invoices must include:

- The word "Tax Invoice" prominently displayed.
- Details such as the names, addresses, and registration numbers of the selling registered dealer.
- The name and address of the purchaser and his registration number, where the purchaser is a registered dealer.
- A unique invoice number, date, description, quantity, and value of goods sold, along with applicable tax details.

This release is issued to raise awareness among consumers and ensure compliance with VAT Regulations.

VALUE ADDED TAX OFFICER (HQ)  
SRI VIJAYA PURAM , SOUTH ANDAMAN



अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
आयुक्त (वैट) कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER (VAT)  
श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान/SRI VIJAYA PURAM, SOUTH ANDAMAN

**प्रेस विज्ञप्ति**

अंडमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर विनियमन 2017, और मूल्य वर्धित कर नियम, 2020 के घोषणा के उपरांत, निम्नलिखित वस्तुएं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूल्य वर्धित कर के दायरे में आती हैं:

• **पेट्रोलियम उत्पाद:** अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल (जहाजों में उपयोग योग्य), पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन।


• **मादक पेय:** भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), और बीयर आदि।

इन वस्तुओं के व्यापार करने वाले डीलरों को वैट विनियमन का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, जिसमें अंडमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर विनियमनकी धारा 50 के अनुसार उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उचित कर चालान जारी करना शामिल है। इसके अलावा, डीलरों को अंडमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर विनियमन की धारा 48 (6) के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।

उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त सामानों की प्रत्येक खरीद के लिए कर चालान प्राप्त करें। इन चालानों में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- शब्द "टैक्स चालान" स्पष्टता से प्रदर्शित।
- बेचने वाले पंजीकृत डीलर के नाम, पते और पंजीकरण संख्या जैसे विवरण।
- जहाँ क्रेता एक रजिस्टर्ड डीलर है, क्रेता का नाम और पता और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर।
- लागू टैक्स विवरण के साथ बेचे गए माल की एक अद्वितीय चालान संख्या, तिथि, विवरण, मात्रा और मूल्य।

यह विज्ञप्ति उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और वैट विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है।

  
मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मुख्यालय)  
श्री विजय पुरम, दक्षिण अंडमान